IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–तृतीय
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
Email-architectplanner3@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
SQMS

पत्रांक: 75/नि0प्र0– 2007/438 दिनांक 28/01/2015

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम–1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

मैसर्स सामिया इन्टरनैशनल प्रा0लि0
सामिया हाऊस, द्वितीय फ्लोर, राजारामकुमार प्लाजा
75, हजरतगंज लखनऊ।

विषय–ग्रुप हाउसिंग भूखंड सं0 ई–3/जी0एच0–3, 4, एवं 5 आम्रपाली योजना, लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 ई–3/जी0एच0–3, 4, एवं 5 आम्रपाली योंजना, लखनऊ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 4-1-2015 के क्रम में नि0प्रा0 आदेश रजिस्टर संख्या 2600../........./.............अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 28.01.2015 से 27.01.2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–21, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ का निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट+स्टिल्ट/भूतल+11 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है जिसमें बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट में पार्किंग का प्राविधान किया गया है।
7. यह स्वीकृति 21289.32 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल) के लिए 9155.62 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखंड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखंड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

क्रमश:–2

11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश/आदेश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत–प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
19. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ के पत्र सं0 प–1276/2014/एलकेडब्लू/लखनऊ/131 डीडी दिनांक 19.07.2014 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उसके साथ संलग्न मानचित्रों में अंकित अग्नि शमन व्यवस्था का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा तथा निर्माण के उपरान्त एवं भवन के उपयोग से पूर्व स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः–

1. आर्किटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट (20 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (46 नग शीट)।
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट (186 पृष्ठ)
4. अग्निशमन प्राविधानों को दर्शाते हुये सी0एफ0ओ0 लखनऊ से अनुमोदित मानचित्र। (20 नग)

27/11/15

(हेमा अग्रवाल)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांक :

पृ0सं0: /उक्त/
प्रतिलिपिः

1. अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–21, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट व प्रपत्र 'च' सहित संलग्न प्रेषित।

संलग्नकः यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी